

उत्तराखण्ड, शासन

वित्त अनुभाग-9

संख्या 550/2022/XXVII(9)/स्टाम्प-48/2008

देहरादून: दिनांक 27 दिसम्बर, 2022

अधिसूचना

राज्यपाल, भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 (अधिनियम संख्या 2, 1899) (समय-समय पर यथासंशोधित) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन शक्ति का प्रयोग करते हुए तथा अधिसूचना संख्या 341(1)/XXVII(9)/2013/स्टाम्प-48/2008 दिनांक 23 जुलाई, 2013 का अधिक्रमण करते हुए इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से अनुसूची 1बी के अनुच्छेद 23 खण्ड (क) के अन्तर्गत निःशक्त व्यक्तियों के पक्ष में रुपये 25 लाख (रुपये पच्चीस लाख मात्र) तक मूल्य की स्थावर सम्पत्ति के अन्तरण पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क में पच्चीस प्रतिशत (25%) की छूट किसी भी निःशक्त व्यक्ति को उसके जीवनकाल में अधिकतम 02 बार अनुमन्य किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। निःशक्तता से क्रमशः (1) अन्धता (दृष्टि बाधित) (2) कम दृष्टि (3) कुष्ठरोगमुक्त (4) श्रवण शक्ति का ह्रास (श्रवण बाधित) (5) चलन निःशक्तता (6) मानसिक मंदता (7) मानसिक रुग्णता अभिप्रेत है।

2- परन्तु यदि किसी लिखत के सम्बन्ध में किसी निःशक्त व्यक्ति के पक्ष में अन्तरण विलेख का मूल्य पच्चीस लाख रुपये से अधिक निर्धारित किया जाता है, तो उस पर स्टाम्प शुल्क की गणना में पच्चीस लाख रुपये मूल्य तक स्टाम्प शुल्क में पच्चीस प्रतिशत की छूट दी जाएगी और पच्चीस लाख रुपये से अधिक मूल्य पर स्टाम्प शुल्क की गणना, पूर्व निर्धारित दरों के अनुसार प्रभार्य होगी तथा यह भी कि निःशक्त व्यक्तियों के पक्ष में इस अधिसूचना के द्वारा प्रदान की जा रही छूट के साथ किसी दूसरी अधिसूचित स्टाम्प छूट का लाभ प्रदान नहीं किया जायेगा।

स्पष्टीकरण:- निःशक्त व्यक्तियों से तात्पर्य प्रचलित यथाविधि अनुसार यथापरिभाषित से है।

Signed by Dilip Jawalkar

Date: 26-12-2022 15:36:21

(दिलीप जावलकर)
सचिव।संख्या:- 550 /2022/XXVII(9)/स्टाम्प-48/2008, तददिनांक।प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. - समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. - समस्त मण्डलायुक्त एवं जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
3. - महानिरीक्षक निबंधन, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. - समस्त सहायक महानिरीक्षक निबंधन, उत्तराखण्ड।
5. - समस्त जिला निबंधक, उत्तराखण्ड।

File No. FIN-5R/E/53/2022-XXVII-9-Finance Department (Computer No. 41012)
2022

6/2022

In pursuance of the provision of clause (3) of article 348 of the constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification No. /2022/XXVII(9)/Stamp-48/2008, Dehradun: dated December, 2022 for general information

Government of Uttarakhand
Finance Section -9

No- 55^a /2022/XXVII(9)/ Stamp-48/2008
Dehradun: dated: 27-December, 2022

Notification

In exercise of the power conferred by clause (a) of sub-Section(1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (Act 2 of 1899) (as amended from time to time) and in supersession of Notification No. 341(1)/XXVII(9)/2013/Stamp-48/2008 dated 23 July 2013, the Governor is pleased to reduce, the Stamp duty upto twenty five percent (25%) in respect of transfer of immovable property for a value of rupees Twenty Five Lakhs in favour of disabled persons, maximum twice in his/her lifetime with effect from the date of publication of this notification in the Gazette. Disability means, (1) Blindness (2) Partly blindness (3) Free from leprosy (4) Deafness (5) Walking disability (6) Mental disability (7) Mental disease respectively

2- Provided if transfer deed in favour of a disabled person is valued more than twenty five lakh rupees, the stamp duty upto twenty five lakh rupees shall be calculated on the twenty five percent reduced value and the stamp duty on higher than Rupees twenty five lakh will be chargeable at the previous prevailing rates and also that the benefit of any other notified stamp exemption shall not be extended in favour of persons with disabilities in addition to the exemption provided by this notification.

Explanation:- Persons with disabilities means persons with disabilities as defined in accordance with the prevailing law.

By Order,
Signed by Dilip Jawalkar
Date: 26-12-2022 15:37:04
Secretary.